



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 76 वर्ष 2026

जय नारायण सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कुनाल शाह, राजकपूर उपाध्याय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शशि प्रकाश सिंह

न्यायालय संख्या - 52

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान,

1. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोषों के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है:

i. उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 02.08.2024 के आक्षेपित आदेश तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा निर्गत दिनांक 22.10.2018 के आक्षेपित आदेश, जिनकी प्रतिलिपि वर्तमान रिट याचिका के साथ क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है, को निरस्त किया जाए।

ii. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता को समस्त परिणामी लाभों सहित तत्काल सेवा में पुनर्स्थापित करें।

वैकल्पिक रूप से,

iii. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाए कि वे भविष्य में प्रत्येक माह देय होने पर निर्वाह भत्ता का नियमित भुगतान करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाए कि वे सितम्बर 2018 से अब तक रोका गया निर्वाह भत्ता का बकाया, विलंबित भुगतान पर 6% वार्षिक ब्याज सहित, याचिकाकर्ता को अदा करें।”

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि जब याचिकाकर्ता सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत था, तब उसके विरुद्ध दिनांक 09.06.2003 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके संबंध में उसे दिनांक 03.07.2003 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 16.07.2003 को अनुमानित निलंबन के अंतर्गत रखा गया। याचिकाकर्ता को दिनांक 14.08.2003 को जमानत पर रिहा किया गया तथा दिनांक 16.07.2003 का निलंबन आदेश दिनांक 07.09.2003 को निरस्त कर दिया गया, जिससे याचिकाकर्ता को पुनः सेवा में स्थापित किया गया। दिनांक 03.03.2010 को याचिकाकर्ता को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया तथा प्राथमिक विद्यालय, दुबारी-1, शिक्षा क्षेत्र फतेहपुर, मंडाव में तैनात किया गया। दिनांक 11.10.2018 को याचिकाकर्ता दोषसिद्ध हुआ और दिनांक 22.10.2018 को उसे निलंबित कर दिया गया। याचिकाकर्ता को सितम्बर, 2020 तक निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाता रहा, जिसे वर्ष 2020 से रोक दिया गया।

3. दोषसिद्धि के पश्चात याचिकाकर्ता को दिनांक 06.04.2022 को जमानत पर रिहा किया गया तथा दिनांक 09.10.2023 के आदेश द्वारा आपराधिक अपील संख्या 6084 वर्ष 2018 में याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि एवं दंड पर स्थगन प्रदान किया गया। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने पुनर्स्थापन हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित आदेश बिना किसी जांच किए पारित किया गया है, जबकि विधि की स्थापित स्थिति के अनुसार, जैसा कि रिट-ए संख्या 11761 वर्ष 2023 (मनोज कुमार कटियार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा 2 अन्य), तटस्थ उद्धरण संख्या 2023:एचसी:169979 तथा इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा विशेष अपील संख्या 190 वर्ष 2023 (फाजिद अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, ग्राम विकास सिविल सचिवालय, लखनऊ के माध्यम से तथा अन्य), तटस्थ उद्धरण संख्या 2024:एचसी-एलकेओ:30348-डीबी में प्रतिपादित किया गया है, जांच किया जाना आवश्यक है।

4. वैकल्पिक प्रार्थना, अर्थात् निर्वाह भत्ता के भुगतान के संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कैप्टन एम. पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माइन्स लिमिटेड एवं अन्य, ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 1416, पर निर्भरता व्यक्त की है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि सेवा नियमों में निर्वाह भत्ता के भुगतान का प्रावधान केवल कर्मचारी के जीवन के अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए है तथा कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में प्रवेश करने पर अपने मूल अधिकारों, जिसमें उसके मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं, को सरकार के पक्ष में त्याग या विनिमय नहीं करता। उक्त निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर संख्या 28 से 31 निम्नवत् उद्धृत किए जा रहे हैं:

“28. सेवा नियमों में सामान्यतः निलंबन की अवधि के दौरान कम दर पर वेतन के भुगतान का भी प्रावधान होता है (देखें: मौलिक नियम 53)। इसे ‘निर्वाह भत्ता’ कहा जाता है। यदि किसी विशेष सेवा वर्ग पर लागू नियमों में कम दर पर वेतन के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है, तो नियोक्ता निलंबन की अवधि के दौरान भी पूर्ण वेतन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।”

29. किसी विशेष प्रकरण के तथ्यों के आधार पर किसी कर्मचारी को निलंबित करने का अधिकार प्रयोग करना उचित हो सकता है। तथापि, ऐसे उदाहरण दुर्लभ नहीं हैं जहाँ अधिकारियों में ‘निलंबन प्रवृत्ति’ पाई गई है और कर्मचारियों को बिना किसी ठोस कारण के ही निलंबित कर दिया गया है। प्रायः यह कर्मचारी की तुच्छ त्रुटि के बजाय अधिकारियों की चिड़चिड़ाहट होती है, जिसके परिणामस्वरूप निलंबन होता है। निलंबन के बावजूद निर्वाह भत्ता का भुगतान न किया जाना एक अमानवीय कृत्य है, जिसका कर्मचारी के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब किसी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है, तो वह कार्य से पृथक् हो जाता है और उसे ‘निर्वाह भत्ता’ के नाम पर कम दर से वेतन दिया जाता है, जिससे वह अपना भरण-पोषण कर सके। इस न्यायालय ने ओ.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, (1987) 4 एस.सी.सी. 328 : (ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 2257) में निर्वाह भत्ता के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की है (ए.आई.आर. का प्रस्तर -15):”

“सरकारी सेवक के निलंबन का आदेश उसकी सरकारी सेवा का अंत नहीं करता है। वह निलंबन के आदेश के बावजूद सेवा का सदस्य बना रहता है।

निलंबन का वास्तविक प्रभाव, जैसा कि इस न्यायालय ने खेम चंद बनाम भारत संघ (ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 300) में स्पष्ट किया है, यह है कि वह सरकारी सेवा का सदस्य बना रहता है, परंतु उसे कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है तथा निलंबन की अवधि के दौरान उसे केवल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कुछ भत्ता दिया जाता है—जिसे सामान्यतः 'निर्वाह भत्ता' कहा जाता है—जो कि उस वेतन एवं भत्तों से कम होता है, जिनका वह अधिकारी निलंबित न होने पर अधिकारी होता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निलंबन का आदेश, जब तक कि विभागीय जांच उचित समय के भीतर पूर्ण न हो जाए, सरकारी सेवक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। 'निर्वाह भत्ता' शब्द का स्वयं में दंडात्मक महत्व निहित है। 'सबशिष्ट' शब्द का शब्दकोशीय अर्थ, जैसा कि शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, खंड-II, पृष्ठ 2171 में दिया गया है, "जीवित रहना; अस्तित्व बनाए रखना" है तथा 'सब्सिस्टेन्स' का अर्थ है—जीवन निर्वाह के साधन, विशेषकर न्यूनतम आजीविका।" (ज़ोर दिया गया)

30. यदि, अतः, वह राशि भी भुगतान नहीं की जाती है, तो निलंबन की अवधि के दौरान कर्मचारी को कम वेतन देने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। निर्वाह भत्ता का भुगतान न किया जाना धीमे विषप्रयोग के समान माना जा सकता है, क्योंकि यदि कर्मचारी को निर्वाह भत्ता के अभाव में अपना भरण-पोषण करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वह धीरे-धीरे भूख से मरने की स्थिति में पहुंच सकता है।"

31. सरकारी सेवा में प्रवेश करने पर कोई व्यक्ति अपने मूल मानवाधिकारों, जिनमें उसके मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं, को सरकार के पक्ष में गिरवी नहीं रखता और न ही उनका परित्याग करता है। केवल इस कारण कि सरकार के पास नियुक्ति का अधिकार है, वह कर्मचारी के शरीर और आत्मा की स्वामी नहीं बन जाती। सरकार अपने नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करके केवल संविधान के अंतर्गत अपने दायित्वों, जिसमें राज्य के नीति-निदेशक तत्व भी सम्मिलित हैं, का निर्वहन करती है। कर्मचारी सेवा ग्रहण करते समय केवल अपनी सेवा से संबंधित विनियामक उपायों के अधीन होने के लिए सहमत होता है। उसका सरकार अथवा अन्य नियोक्ता, जैसे कि सरकारी उपक्रमों या वैधानिक अथवा स्वायत्त निगमों आदि के साथ संबंध, सेवा अनुबंध की शर्तों या संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध के अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सेवा नियमों अथवा अन्य वैधानिक नियमों, जिनमें प्रमाणित स्थायी आदेश भी सम्मिलित हैं, द्वारा विनियमित होता है। कर्मचारी अपने मौलिक अधिकारों, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार भी सम्मिलित है, या अपने मूल मानवाधिकारों का परित्याग नहीं करता। सेवा नियमों में निर्वाह भत्ता के भुगतान का प्रावधान केवल कर्मचारी के जीवन के अधिकार के उल्लंघन को रोकने हेतु किया गया है। यही कारण था कि इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रभान,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(1983) 3 एस.सी.आर. 337 : (1983) 3 एस.सी.सी. 387 : ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 803 में उस सेवा नियम को निरस्त कर दिया था, जिसमें निलंबित कर्मचारी को मात्र एक रुपये का निर्वाह भत्ता देने का प्रावधान था। इस निर्णय का अनुसरण फकीरभाई फुलाभाई सोलंकी बनाम प्रीसाइडिंग ऑफिसर, (1986) 3 एस.सी.सी. 131 : (1986) 2 एस.सी.आर. 1059 : ए.आई.आर. 1986 एस.सी. 1168 में किया गया, जिसमें यह कहा गया कि यदि निर्वाह भत्ता के भुगतान न होने के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों के चलते कोई कर्मचारी विभागीय कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सका और अपने निवास स्थान से दूर जाकर उसमें भाग लेने में असमर्थ रहा, तो दंडादेश सहित समस्त कार्यवाही दोषपूर्ण हो जाएगी। इस प्रयोजन हेतु पूर्व निर्णय घनश्याम दास श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1973) 1 एस.सी.सी. 656 : ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 1183 पर भी निर्भरता व्यक्त की गई।”

5. उपर्युक्त के आलोक में, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रकरण स्थापित होता है। आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में टिकाऊ नहीं हैं, अतः उन्हें निरस्त किया जाता है। प्रकरण को प्रत्यर्थी संख्या 4—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मऊ—के समक्ष पुनः प्रेषित किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता आज से दो सप्ताह के अंतर्गत अपनी शिकायत के निवारण हेतु नवीन आवेदन प्रस्तुत करता है, तो वह उसे विधि के अनुसार यथाशीघ्र, अधिमानतः उसके पश्चात तीन सप्ताह की अवधि के अंतर्गत, विचार कर निर्णय ले।

6. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

7. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

25 मार्च, 2026

डी.एस.

(न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।